चेन्नई□ फिनलैंड हैंडसेट कंपनी नोकिया को राहत देते हु□ मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की 2,400 करो□ रुप□ की वैट मांग आज खारिज कर दी और अधिकारियों को कर आकलन की ‘न□ सिरे से’ समीक्षा करने का निर्देश दिया□

न्यायमूर्ति बी. राजेंद्रन ने नोकिया की याचिका स्वीकार करते हु□ राज्य सरकार के आदेश को दरकिनार कर दिया और कंपनी को कर मांग का 10 प्रतिशत ‘‘आकलन की समीक्षा की पूर्व शर्त के तौर पर’’ आठ सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया□

कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के बिक्री कर विभाग के 2009-10, 2010-11, 2011-12 की अवधि के लि□ आकलन और 2,400 करो□ रुप□ के वैट के लि□ नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी□

जज ने प्रवर्तन उपायुक्त (दक्षिण) को नोकिया को अपना पक्ष रखने का अवसर देने, दस्तावेजों को देखने □वं कंपनी के इरादे के मुताबिक आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया□

जज ने व्यवस्था दी कि अधिकारियों द्वारा जारी मांग नोटिस अब भी वैध हैं□ जज ने महाधिवक्ता □.□ल. सोमैयाजी की यह दलील खारिज कर दी कि व्यक्तिगत स्तर पर सुनवाई का अवसर देने की कोई जरूरत नहीं है□ उन्होंने कहा, ‘‘जब सुनवाई के इस तरह के अवसर की मांग की जाती है तो यह याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जानी चाहि□□’’

तमिलनाडु सरकार ने नोकिया पर कर चोरी का आरोप लगाते हु□ 2,400 करो□ रुप□ की मांग का नोटिस जारी किया जिसका कंपनी ने विरोध किया और मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया□

(भाषा)